न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 43/2017 निगरानी

उनवान

श्री अमित ओझा पिता केशव कान्त ओझा निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)
— निगराकार

बनाम

1.श्री जगदीशचन्द्र पिता सुगनचन्द डांगी निवासी बीगोद त0 माण्डलगढ
——गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा0पं0रा0 अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत बीगोद की पत्रावली संख्या 02/90 से जारी पट्टा एवं आदेश दिनांक 16.12.1997 को निरस्ती बाबत।

उपस्थितः'— श्री अमित कोठारी — वकील निगराकार
श्री दिनेश शिशोदिया —गैर निगराकार

निर्णय **दिनांक 26/07/2018**

प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की डीबी सिविल स्पेशल अपील संख्या 479/2006 अनवान श्री जगदीशचन्द्र पिता सुगनचन्द डांगी निवासी मसूदा जिला अजमेर हाल निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा वगैरह विरूद्ध एकल पीठ में दायर प्रकरण संख्या एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4373/2005 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनांक 21.11.2016 से माननीय एकल पीठ की एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4373/2005 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2005 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी श्री जगदीशचन्द्र ग्राम पंचायत बीगोद से प्राप्त किए गए पट्टे के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किए जाने के आदेश जारी किए जाने पर आदेशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

बहस के दौरान निगराकार के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बीगोद के द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 141 से 160 जिनमें आवासीय भूखण्ड देने के लिए विद्यमान प्रावधानों की पालना किए बिना ही गैर निगराकार को भूखण्ड का आवंटन किया गया। पंचायत को आबादी भूमि के भू—खण्ड सार्वजनिक निलामी के माध्यम से निलाम किए जाने के प्रावधान है परन्तु निलामी के समय उंचित मूल्य प्राप्त नहीं होने या निलामी में किसी के भाग नहीं लेने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में आपसी बातचीत के जरिये भूखण्ड दिये जाने के प्रावधान है परन्तु उसका पंचायत की आदेशिका में उल्लेख करना होगा। विपक्षी श्री जगदीशचन्द्र एक अध्यापक होकर तत्समय उसकी मासिक आय 12000/— रूपये थी जो कतई गरीबी रेखा में नहीं आता है। नियम 158 के तहत भी विपक्षी भूखण्ड पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि आवंटन इस वर्ग में पाने के लिए विपक्षी बीगोद का रहने वाला नही होकर ब्यावर का निवासी है तथा कमजोर वर्ग की परिभाषा में नहीं आता है। नियम 160 के तहत ऐसा भूखण्ड अनुमोदन के अन्तर्गत आता

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है किन्तु 30000/– रूपये वाले भूखण्ड को मात्र 6000/– रू0 में देना तय कर अनुमोदन नहीं कराया है और आज्ञा में काट फांस की गई है। नियम 153 के तहत 60 दिवस की अवधि में राशि जमा होने के प्रावधान है किन्तु विपक्षी द्वारा कई वर्षों बाद राशि जमा कराई है। नियम 155 के तहत कब्जा नहीं दिया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.1997 में प्रार्थी पक्षकार नहीं होने से आदेश की जानकारी नहीं थी। आदेश की जानकारी दिनांक 12.09.2002 को होने पर विधिवत नकलें प्राप्त कर दिनांक 27.09.2002 को यह निगरानी प्रस्तुत की गई विलम्ब अवधि के लिए परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कराया जाकर निगरानी को अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार कराई जावे व अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त कराया जावे।

बहस में विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के द्वारा आबादी भूमि में जिस भूखण्डं का विक्रय किया है वो विपक्षी के कब्जे में था। विपक्षी एक अनुसूचित जाति का सदस्य है और अनुसूचित जाति के सदस्य को इस प्रकार रियायत दर पर भूखण्ड दिये जाने के प्रावधान है । ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बीगोद ने विपक्षी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 140 से 160 तक के नियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरू भूखण्ड का विक्रय किया गया है इसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। निगराकार की निगरानी अस्वीकार कराई जावे। परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया कि निगराकार को जानकारी होते हुये भी विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत हुई है और विलम्ब केबारे में प्रस्तुत आवेदन में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब के सम्बन्ध में प्र्याप्त कारण अंकित नहीं किये है जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अस्वीकार योग्य होकर यह निगरानी बेरून मियाद है जिससे खारिज किया जावे।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों का भली भांति रूप से अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण में निगराकार की ओर से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु को तय किया जाना है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्रमाणित प्रतियें जो दिनांक 12.09.2002 को उपलब्ध होना बताते हुये दिनांक 27.09.2002 को यह निगरानी प्रस्तुत की गई जिससे पंचायत बीगोद के आदेश दिनांक 16.12.1997 से 11.09.2002 के विलम्ब की अवधि को क्षमा कराने का निवेदन किया और प्रार्थनापत्र के समर्थन में अपने स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसके खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई जवाब अथवा प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में दिनांक 16.12.1997 से 11.09.2002 तक के समय को क्षमा किया जाकर निगराकार की निगरानी को मियाद में शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अब प्रकरण में प्रस्तुत निगरानी के गुणाव–गणों पर विचार किया जाना है। प्रकरण के साथ संलग्न ग्राम पंचायत बीगोद की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विपक्षी जगदीशचन्द्र के द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वयं के द्वारा कोई तारीख अंकित नहीं की है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत बीगोद ने पत्रावली बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिए परन्तु उक्त आदेशिका पर भी कोई तारीख

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अंकित नहीं है। आवेदन के मुख पृष्ठ पर 15/3/91 की तारीख अंकित है साथ ही 225/2.10 भी अंकित किया गया है जबकि पत्रावली के सरवर्क(मुख्य पृष्ठ) पर दायर दिनांक 13.04.1990 अंकित किया गया है। दिनांक 13.04.1990 की आदेशिका में सरपंच ग्राम पंचायत बीगोद ने अंकित किया कि मिसल पेश हुई नक्शा बनाया जाकर पेश हो। इसके पश्चात यह पत्रावली सीधे दिनांक 17.02.1997 को पेश हुई अर्थात 6 वर्ष 10 माह पश्चात पत्रावली पेश की गई। उक्त दिनांक को मौका नक्शा पेश होने पर सरपंच द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु 3 वार्ड पंचों को नियुक्त किया । नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु नियुक्त वार्ड पंचों को अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में दिए गए बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करनी होती है परन्तु उक्त नियुक्त तीनों वार्ड पंचों के द्वारा 15.10.1997 तक भी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सरपंच के द्वारा पुनः दिनांक 16.10.1997 को स्थल निरीक्षण का आदेश अन्य 3 वार्ड पंचों को दिया गया। जिसकी पालना में उक्त वार्ड पंचों के द्वारा स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट दिनांक 18.10.1997 को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12.11.1997 को आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने हेतु एक माह का नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 16.12.1997 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए विपक्षी के पक्ष में अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने एवं पंचायत सर्कल में रहने हेतु किसी प्रकार का भूखण्ड नहीं होने से राशि वसूल कर पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी जाती है। ग्राम पंचायत की उक्त पत्रावली संख्या 02/90 में दिनांक 12.11.97 एवं दिनांक 16.12.97 में अंकित वर्ष में ओवरराईटिंग कर वर्ष को परिवर्तन किया गया है जो संदिग्ध लगता है। इस ओवरराईटिंग पर सरपंच के लघु हस्ताक्षर भी नहीं है। न ही तारीख को काटकर स्पष्ट तारीख अंकित किया जाना भी प्रतीत नहीं होता है। सरपंच के द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु जिन 3 वार्ड पंचों को नियुक्त किया उनके नाम है श्री लादूलाल वर्मा, श्री राधेश्याम वैष्णव व श्री अब्दुल गफूर शहरी। इन तीनों वार्ड पंचो ने दिनांक 15.10.2003 को अपने अलग–अलग शपथ–पत्र इस आशय के प्रस्तुत किए कि पंचायत की पत्रावली में स्थल निरीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 12.10.97, 17.10.97 एवं 18.10.97 को प्रस्तुत की गई है उस पर हमारे हस्ताक्षर नहीं है विवादित भूखण्ड पर कब्जा वर्षों से अमित ओझा का चला आ रहा है उसकी बाउण्ड्री, रोड़ी, गाय का ठाण व छप्पर बने हुए हैं। मौका निरीक्षण पत्र में भूखण्ड श्री जगदीश को देने की बात लिखी गई है वह गलत है। इसी प्रकार पंचायत के द्वारा आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14.11.97 पर जिन गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है उन सभी ने भी अपने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त सूचना पत्र हमारे सामने विवादित स्थल अथवा पंचायत के नोटिस बोर्ड पर या सार्वजनिक स्थल पर चस्पा नहीं किया है। बल्कि इस पर हमारे से यह कहकर हस्ताक्षर कराये कि विवादित भूखण्ड अमित ओझा के कब्जे के बारे में आपत्तियां मांगी जा रही है। इस प्रकार पंचायत के द्वारा पट्टा जारी करने हेतु जारी आदेश दिनांक 16.12.1997 पूर्णतया अवैधानिक प्रतीत होता है। इसी प्रकार भूखण्ड के विक्रयमूल्य का प्रश्न है उसके सम्बन्ध मे विपक्षी ने अनुसूचित जाति का सदस्य होने सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया साथ ही विपक्षी गरीबी रेखा का व्यक्ति हो ऐसा भी कोई प्रमाण पत्रावली पर संलग्न नहीं है जिससे यह भूखण्ड विपक्षी को रियायती दर पर आवंटित किया जबकि विपक्षी राजकीय सेवा में होकर अध्यापक है साथ ही विपक्षी बीगोद ग्राम पंचायत का निवासी नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नियम 141 से 160 में दिए गए प्रावधानों का स्पष्टतौर पर उल्लंघन होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में निगराकार की निगरानी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी बमामले ग्राम पंचायत बीगोद पंचायत समिति माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 02/90 निर्णय दिनांक 16.12.1997 को अपास्त किया जाता है । अधीनस्थ ग्राम पंचायत का तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय की प्रति के पुनः पालना हेतु भिजवाया जावे।
निर्णय आज दिनांक 26/07/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा